न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 65/2015

अपीलान्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1सुमेरसिंह पुत्र हेमसिंह जाति राजपूत निवासी गोठ तहसील जायल जिला नागौर। 2करणसिंह पुत्र हेमसिंह जाति राजपूत निवासी गोठ तहसील जायल जिला नागौर।		नायब तहसीलदार, डेह तहसील जायल।

उपस्थिति :–

1. श्री नरेन्द्र सारस्वत अधिवक्ता अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 02.11.17

(1)–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार, डेह द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 29/2015 सरकार बनाम करणसिंह में निर्णय दिनांक 04.09.2015 के तहत मौजा मांगलोद के खसरा नं. 884 रकबा 0.03 बीघा गै.मु. रास्ता व खसरा नं. 885 बाराणी सरकारी भूमि में रकबा 0.03 बीघा कुल 0.06 बीघा भूमि से बेदखली, शास्ति एवं सिविल कारावास के आदेश से असंतुष्ट होकर दिनांक 28.10.2015 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट्स की अपील दिनांक 04.11.2015 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

(2)–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी थी, क्योंकि अपीलाधीन निर्णय अपीलांट्स की गैरमौजूदगी में किया गया था। अपीलांट्स के घर पर दिनांक 6.10.15 को पुलिस सिपाही के आने पर घर वालों को पुलिस सिपाही ने बताया कि तहसील से फैसला की पालना में अपीलांट्स को गिरफ्तार करने आया है, मगर उस वक्त अपीलांट्स गांव से बाहर होने के कारण अपीलांट्स को गिरफ्तार नही किया जा सका था। अपीलांट्स के घर आने पर घर वालों ने निर्णय की जानकारी दी, तब अपीलांटस ने नकल आवेदन पेश कर निर्णय की नकल प्राप्त की तथा कुछ दिन अपील हेतु रू. की व्यवस्था में लग गये। अपीलांटस गरीब अनपढ व्यक्ति है तथा उन्हे अपील की समय सीमा की कोई जानकारी नही रही है। समय भीतर अपील प्रस्तुत नही करने का समुचित व पर्याप्त कारण रहा है। अपीलांट्स ने मियाद हेतु प्रार्थना पत्र व उसके समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। जिसका राजकीय अभिभाषक द्वारा विरोध नहीं किया गया है। अतः मामले में नरम रूख अपनाते हुए अपीलांटस की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांटस ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि –

(2)(I)–अपीलाधीन निर्णय अवैध, अनाधिकृत, विधि विरूद्व, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत तथा बिना क्षेत्राधिकार के होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2)(II)–अपीलांटस का खसरा नं. 884 व 885 के किसी भी भू भाग पर कब्जा या अतिक्रमण नही होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है।

(2)(III)–अपीलांटस के खातेदारी कब्जे की भूमि खसरा नं. 890 रकबा 69 बीघा 5 बिस्वा वाके मौजा मांगलोद में आई हुई है। अपीलांटस के खातेदारी कब्जे की इस भूमि में बिना अधिकार के सडक निकाल देने से इसका रकबा कम हो गया था। यद्यपि अपीलांटस के खातेदारी की भूमि में से सडक निकालने की सारी प्रक्रिया व कार्यवाही अवैध व विधि विरूद्व थी, क्योकि भूमि अवाप्ति अधिनियम के किसी प्रावधानों की पालना किये बगैर सडक निकाली गई थी। इस सडक को बनाने के समय अपीलांटस के खातेदारी की भूमि को न तो अवाप्त किया गया था और न ही इस भूमि का मुआवजा ही अपीलांटस को दिया गया था।

अपर कलक्टर, नागौर

अपीलांटस के खातेदारी की भूमि खसरा नं. 890 में से सडक बनाई गई, उसमें अपीलांटस के खातेदारी की 1 बीघा 13 बिस्वा भूमि सडक में गई थी। इस 1 बीघा 13 बिस्वा भूमि के सडक में जाने के बाद अपीलांटस के खातेदारी की भूमि का रकबा 67 बीघा 12 बिस्वा रहता है, मगर राजस्व कर्मचारियों ने खसरा नं. 890 का रकबा खतौनी में गलत रूप से 64 बीघा 3 बिस्वा दर्ज कर दिया, जो राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज है।

{2}(IV)–अपीलांटस के खातेदारी की भूमि में 1 बीघा 13 बिस्वा भूमि पर सडक का निर्माण हुआ है तथा इसके नये खसरा नं. 890/1085 डाले गये है। मगर राजस्व कर्मचारियों ने गलत रूप से इसका रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा की बजाय 5 बीघा 5 बिस्वा दर्ज कर दी, जो बिना अधिकार के दर्ज की गई है। खसरा नं. 890/1085 को राजस्व नक्शे में अभी तक अलग से नही दर्शाया गया है।

{2}(V)–अपीलांटस के खातेदारी की भूमि में सडक बन जाने से खसरा नं. 890 दो भागो में विभक्त हो गया है। सडक से पूर्व दिशा का भाग तथा सडक से पश्चिम दिशा का भाग दो अलग अलग हिस्सों में मौके पर कायम है। सडक से पश्चिम तरफ का भाग खसरा नं. 890 का बचा है, इसके पश्चिम में चिपते खसरा नं. 884 व 885 आये हुए है। इन्ही खसरा नं. 884 व 885 की तीन–तीन बिस्वा भूमि पर अपीलांटस का अतिक्रमण बताया गया है, जबकि वास्तव में अपीलांटस का खसरा नं. 884 व 885 के किसी भी भाग पर अतिक्रमण नही है, अपीलांटस का जो भी कब्जा है, वह खसरा नं. 890 की भूमि पर है।

{2}(VI)–अपीलांटस ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर निवेदन किया था कि अपीलांटस की भूमि का सही नाप चौप करवा लिया जावे, अगर अपीलांटस का कब्जा खसरा नं. 890 की भूमि के बाहर नाप से आता है तो अपीलांटस ऐसा कब्जा छोडने को तैयार है।

{2}(VII)–अपीलांटस को अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की नकले लेने पर ज्ञात हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसी पटवारी से नाप रिपोर्ट मंगाई, जिसने अपीलांटस के विरूद्व धारा 91 की कार्यवाही शुरू करने हेतु तहसीलदार को शुरू में रिपोर्ट बनाकर प्रेषित की थी और जिसकी गलत रिपोर्ट पर धारा 91 की कार्यवाही अपीलांटस के विरूद्व शुरू की गई थी। अपीलांटस को इस बाबत कोई सूचना भी नही दी गई थी, न पटवारी ने वापस मौके पर आकर नाप चौप किया और न ही अपीलांटस को नाप चौप बाबत सूचना दी। पटवारी ने सारी रिपोर्ट घर में बैठकर तैयार की है, इसलिये ऐसी रिपोर्ट पर किसी सूरत में विश्वास नही किया जा सकता।

{2}(VIII)–अपीलांटस के द्वारा नाप चौप की मांग करने पर अधीनस्थ न्यायालय की जिम्मेदारी थी कि वह उसी पटवारी से रिपोर्ट नही मंगाकर किसी निष्पक्ष व स्वतंत्र पटवारी को मौका कमीश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट मंगाते, मगर ऐसा नही करने की अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी गलती की है।

{2}(IX)–पटवारी से जो नाप चौप रिपोर्ट मंगाई गई है, उस बाबत कोई नाप रिपोर्ट तैयार नही की गई है, केवल नक्शा बनाकर पटवारी ने अतिक्रमण दिखा दिया है। पटवारी ने खसरा नं. 890 की 884 व 885, 890/1085 की किन–किन भुजाओं का कैसे नाप किया, उसका कोई उल्लेख मौका रिपोर्ट में नही है, न नाप चोप बताया गया है। इसलिये पता चलता है कि पटवारी ने रिपोर्ट गलत व फर्जी तैयार की है।

{2}(X)–अपीलांटस के विरोधी लोगो से पटवारी ने मिलकर सारी कार्यवाही व झूठे कागजात अपीलांटस के विरूद्व तैयार किये है।

{2}(XI)–सन 2014 की धारा 91 की अपीलांटस के विरूद्व की गई कार्यवाही भी गलत की गई कार्यवाही थी। अपीलांटस को भौतिक रूप से बेदखल करने की कोई ठोस साक्ष्य पत्रावली पर नही है, न अपीलांटस को कभी पूर्व में भौतिक रूप से बेदखल किया गया, इसलिये अपीलांटस के विरूद्व पश्चातवर्ती अतिक्रमण की कार्यवाही न तो प्रारंभ की जा सकती थी और न ही इस पर निर्णय पारित किया जा सकता था।

{2}(XII)–अपीलांटस के खातेदारी की भूमि खसरा नं. 890 का रकबा राजस्व रेकर्ड मे सही कर 67 बीघा 12 बिस्वा दर्ज करने तथा खसरा नं. 890/1085 का रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा की बजाय 1 बीघा 13 बिस्वा दर्ज करने का वाद अपीलांटस ने सहायक जिलाधीश व उपखण्ड अधिकारी न्यायालय जायल में प्रस्तुत कर रखा है तथा वर्तमान में विचाराधीन है। मगर उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है। इसलिये आदेश जैर अपील निरस्त किया जाना चाहिये।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट्स द्वारा मांगलोद में स्थित गै.मु. रास्ता व सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस

अपर कलक्टर, नागौर

जारी किया गया। आराजी भूमि सार्वजनिक रास्ते की भूमि है। जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि होने से ऐसी भूमियों के खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। इससे पूर्व में प्रकरण सं. 31/14 के द्वारा अपीलांट्स को दिनांक 12.08.14 को बेदखली के आदेश पारित कर दिनांक 16.02.15 को भौतिक रूप से बेदखली भी की गई है तथा पश्चातवृति अतिक्रमण होने पर ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके मांगलोद के खसरा नंबर 884 रकबा 0.03 बीघा व खसरा नंबर 885 रकबा 0.03 बीघा कुल 0.06 बीघा गैर मुमकिन रास्ता भूमि पर अतिक्रमण किया जाना पाया गया है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत नोटिस दिया गया है तथा अपीलांट्स का अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होना अभिलेख से साबित है। इससे पूर्व प्रकरण सं. 31/14 में दिनांक 12.08.14 को अपीलांट्स को भौतिक रूप से बेदखली किया जाना फर्द दिनांक 12.08.14 से साबित है तथा इस बेदखली को बयान पटवारी दिनांक 23.07.14 से साबित भी कराया गया है। इस प्रकार पश्चात्वृत्ति अतिक्रमण किया जाना बेखूबी साबित है। आराजी भूमि की किस्म गैर मुमकिन रास्ता है। जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि होने से ऐसी भूमियों के खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील विधिसम्मत होने से इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट्स की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
अपर कलक्टर,
अपर कलक्टर, नागौर